



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./110/2019-**नन४**

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

पटना-14, दिनांक-**०३/०९/2020**

विषय : Vindhya Telelinks Ltd. द्वारा गंगटा-लक्ष्मीपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.53 हे० वन भूमि का "Vindhya Telelinks Ltd. पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 998 (ई०) दिनांक 01.09.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में निम्नलिखित शर्तों के साथ Vindhya Telelinks Ltd. द्वारा गंगटा-लक्ष्मीपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.53 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, अपितु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च से किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रु० 7,29,862/- (रुपये सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ) मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।
- (iii) क्षतिपूरक वर्नीकरण मद की कुल राशि रु० 7,29,862/- (रुपये सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट **parivesh.nic.in** से **e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।**
- (iv) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।
- (v) वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (vii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (viii) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (ix) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (x) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (xi) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xiii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xiv) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में Vindhya Telelinks Ltd. पटना के पक्ष में) अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश अथवा Working permission निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./110/2020—378 दिनांक 03/09/2020

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल मुंगेर/ Vindhya Telelinks Ltd. पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./110/2020-७७४ दिनांक ०३/०९/२०२०

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./110/2020-७७४ दिनांक ०३/०९/२०२०

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।